बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC- 812

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 28/07/2018

विषय – जमुई जिलान्तर्गत NH-333 कोरवाटोला–बामदा–विशनपुर झारखंड सीमा तक (115.00–141.050 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 23.45 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि जमुई जिलान्तर्गत NH-333 कोरवाटोला–बामदा–विशनपुर झारखंड सीमा तक (115.00–141.050 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 23.45 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मु० मुंगेर का प्रस्ताव वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 23.45 हे० वन भूमि एवं 1093 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई, वन प्रमंडल, जमुई द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं0	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0.00-60 CM तक	60 CM से अधिक
1	35	1058

अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 46.90 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, जमुई के चकाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत के जरूआडीह मुरीयाडीह सुरक्षित वन को चिन्हित किया गया है। वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक वन भूमि–24/12 813 (इ0)/ प0व0 दिनांक 24.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में राज्य स्तरीय समिति की बैठक बुला कर की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 23.45 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 1,46,79,700/– (रूपये एक करोड़ छियालीस लाख उनासी हजार सात सौ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2018 में करने के कारण Panel NPV मद में NPV मद की 20% राशि एवं 12% ब्याज के साथ कुल रू० 32,88,253/– मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. अपयोजित होने वाली 23.45 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये जमुई वन प्रमंडलन्तर्गत 46.90 हे० अवकृष्ट वन भूमि जरूआडीह मुरीयाडीह सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 1,05,36,608/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
5. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/-- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
6. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर यथासम्भव 0.00–60 से0मी0 तक के पौधों को Tran locate किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को अनुमोदित करने के उपरान्त राज्य स्तरीय समिति की बैठक बुलाने हेतु निर्देश देने की कृपा की जाय।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ए० के० पाण्डेय) 28/5/2018

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।